<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)</u>

<u>//विविध–आदेश//</u>

<u>(कार्य–विभाजन में संशोधन क्र0–6)</u>

क्रमांक 126 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　रीवा, दिनांक 25/10/2023
दो–1–1/2000

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक 827/गोपनीय /दो–8–3/2010 जबलपुर दिनांक 14.09.2023 के द्वारा श्री आशीष ताम्रकार, षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को रजिस्ट्रार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति किए जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक बी/7445/तीन–6–4/2003 जबलपुर दिनांक 11.10.2023 के द्वारा श्री दिलीप सिंह, ग्यारहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं श्री आदेश जैन, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त करते हुये अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा–15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–10 की उपधारा–2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 216/दो–1–1/2000 दिनांक 17.05.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :–

01. सरल क्रमांक 08 श्री आशीष ताम्रकार, षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा के स्तम्भ क्रमांक 02 में **षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)** लेख करते हुयें तथा स्तम्भ क्रमांक 03 (**सिविल/सत्र खण्ड**) एवं 04 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

02. सरल क्रमांक 01 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "**सिविल खण्ड**" में एवं स्तम्भ क्र0–4 की कंडिका क्रमांक 10 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 11 निर्मित करते हुये निरंतर जोड़ा जाता है :–

> **11. थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में घटित मोटर दुर्घटना के संबंध में अथवा उक्त थाना क्षेत्र में निवास कर रहे या व्यापार कर रहे दावेदारों आवेदक /वादी या अनावेदक/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि चाहने संबंधी दावे एवं उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।**

03. सरल क्रमांक 15 श्री केशव सिंह, 13 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "**सिविल खण्ड**" में एवं स्तम्भ क्र0–4 की कंडिका क्रमांक 01 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 02 निर्मित करते हुये निरंतर जोड़ा जाता है :–

> **02. प्रथम/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें।**

04. सरल क्रमांक 13 श्री दिलीप सिंह, ग्यारहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 02 में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा लेख करते हुयें तथा स्तम्भ क्रमांक 03 "**सत्र खण्ड**" में एवं स्तम्भ क्र0–4 की कंडिका क्रमांक 01 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 02 निर्मित करते हुये निरंतर जोड़ा जाता है :–

> **2. सिविल जिला रीवा क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र) के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–153 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।**

05. सरल क्रमांक 18 श्री अनिल कुमार द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के स्तम्भ क्रमांक 03 "**सत्र खण्ड**" में एवं स्तम्भ क्र0–04 की कंडिका क्रमांक–05 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

06. सरल कमांक 17 श्री आदेश कुमार जैन प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के स्तम्भ कमांक 02 में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम लेख करते हुयें तथा स्तम्भ कमांक 03 **"सत्र खण्ड"** में एवं स्तम्भ क0–4 की कंडिका कमांक 08 के पश्चात् कंडिका कमांक 09 निर्मित करते हुये निरंतर जोड़ा जाता है :–

9– **"सिविल जिला रीवा के मऊगंज क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।"**

07. परिशिष्ट–अ की कंडिका 06 लगायत 13 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
1	2	3
6	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
7	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. अष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
8	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. अष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. नवम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
09	अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. नवम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
10	09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 12 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
11	11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा	**पृष्ठ कमांक 19 के नोट कमांक 05 के अनुसार**
12	12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रीवा	1. चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 4780/ रीवा, दिनांक 25/10/2022
दो–1–1/2000

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउगंज।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।
4. फाईलिंग काउंटर, रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)